न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/148/2014

उनवान

1. सरजू पत्नी भैरू गुर्जर निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. धन्ना पुत्र गुलाब गुर्जर निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. देवकरण पुत्र धन्ना गुर्जर निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. धन्नी पत्नी धन्ना गुर्जर निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के
प्रकरण संख्या 39/2011 निर्णय दिनांक 4.8.2014

अभिभाषक : 1. श्री आर सी सारस्वत ,अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री राकेश चौहान, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

आदेश

दिनांक 26.2.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थलकलॉ के खाता संख्या 176 की आराजी नम्बर 37 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा , आराजी नम्बर 30/1 रकबा 4 बीघा भूमि प्रार्थीया के खातेदारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिकार की आराजी है जिस पर कब्जा प्रार्थीया का चला आ रहा है। प्रार्थीया ने अपनी आराजी के चारों तरफ थोहर की बाड लगा रख है। उक्त भूमि प्रार्थीया ने कभी किसी को विक्रय नहीं की है। विपक्षीगण का प्रार्थीया की आराजी में किसी प्रकार का हक अधिकार निहित नहीं होते हुए भी विपक्षीगण जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराया जावे कि वे प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी में दखलन्दाजी नहीं करें।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी/प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात की खातेदार काश्तकार दर्ज हैं एवं प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण विवादित आराजी में खातेदार दर्ज रेकार्ड नहीं हैं। प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई लेना–देना ही नहीं है । अप्रार्थी ने जवाब में स्वीकार किया था कि विपक्षीगण की आराजी नम्बर 31, 35 एवं 36 जो कि विपक्षीगण की आराजी है जिस पर प्रार्थीया ने जबरन कब्जा कर रखा है। लडाई झगडा करता है। यदि अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण की आराजी पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जबरन कब्जा है यह तथ्य साबित भी है तो प्रत्यर्थीगण/विपक्षी को कब्जेयाबी का दावा प्रस्तुत कर दाद हासिल करनी चाहिये । चूंकि वादग्रस्त आराजियात अपीलार्थीया की खातेदारी की आराजी है जिसे प्रत्यर्थीगण भी स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात जिसकी वह खुद खातेदार है उस हेतु तो विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण को पाबन्द नहीं किया है एवं प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र ही खारिज किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार किया जावे एवं प्रत्यर्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

5. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण की आराजी नम्बर 31, 35, 36, 39 एवं 45 है। उभयपक्ष के मध्य आता चाह नम्बर 38 है जो शामलाती है। प्रत्यर्थीगण की आराजी नम्बर 35 व 36 पर आने–जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते के लिए विपक्षीगण/प्रत्यर्थीगण ने धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। जो प्रकरण विचाराधीन है। प्रत्यर्थीगण रास्ते के लिए नियमानुसार राशि जमा कराने को भी तैयार है। यहॉ विचाराधीन प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन जारी होने से कार्यवाही रूकी हुई है।

प्रत्यर्थीगण द्वारा पत्थरगढी कराने पर प्रत्यर्थीगण की आराजियात पर भैरू गुर्जर यानि अपीलार्थी के पति का कब्जा नाजायज तौर पर पाया गया है। प्रत्यर्थीगण ने प्रार्थीया की आराजी पर कोई कब्जा नहीं कर रखा है। भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह तथ्य भी साबित हो चुका था। जब प्रत्यर्थीगण ने प्रार्थीया की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात पर कब्जा किया ही नहीं है एवं कब्जा कर भी नहीं रहे हैं तो प्रत्यर्थीगण को किस आधार पर पाबन्द किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है।

6. अधिवक्ता अपीलार्थीया ने रिबटल में निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने रास्ते के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है । प्रार्थीया ने कोई रास्ते को अवरूद्ध नहीं किया है। यह प्रकरण तो प्रार्थीया की खातेदारी की आराजियात में दखल करने का है। जिसमें अपीलार्थीया ने अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है वह विधिसम्मत नहीं है। अतः प्रत्यर्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया/प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थलखुर्द के खाता संख्या 176 की आराजी नम्बर 37 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा , आराजी नम्बर 30/1 रकबा 4 बीघा भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की आराजी है जिस पर कब्जा प्रार्थीया का चला आ रहा है। प्रार्थीया ने अपनी आराजी के चारों तरफ थोहर की बाड लगा रख है। उक्त भूमि प्रार्थीया ने कभी किसी को विक्रय नहीं की है। विपक्षीगण का प्रार्थीया की आराजी में किसी प्रकार का हक अधिकार निहित नहीं होते हुए भी विपक्षीगण जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ग्राम पंचायत थलकलॉ द्वारा दिनांक 26.5.2011 को एक पत्र तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा गया जिसकी फोटो प्रति संलग्न है जिसमें अंकित किया गया है कि प्रार्थी धन्ना, हीरा पिता गुलाब गुर्जर निवासी थलखुर्द की कृषि भूमि में आने–जाने का रास्ता श्रीमती सरजु पत्नि भैरू गुर्जर निवासी थलखुर्द ने बन्द कर रखा है। क्योंकि धन्ना, हीरा पिता गुलाब गुर्जर के चारों तरफ श्रीमती सरजु की कृषि भूमि आ रही है। अतः रास्ता दिलाने की कृपा करावें। पटवारी हल्का द्वारा बनाया गया पर्चा मौका दिनांक 26.2.2011 का भी प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । जिसमें अपीलार्थीया द्वारा विपक्षीगण का रास्ता रोके जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक वृत काछोला दिनांक 30.5.2011 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम थलाखुर्द की आराजी नम्बर 31, 35, 36, 39 एवं 45 किता 5 रकबा 20.08 की पत्थरगढी की गई पत्थरगढी के दौरान आराजी नम्बर 31 की दक्षिणी सीमा पर 0.10 पर एवं आराजी नम्बर 35, 36 की उत्तरी पूर्वी सीमा पर 0.15 बीघा भूमि किता 2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा पर भैरू लाल पिता चमना गुर्जर निवासी थलाखुर्द का कब्जा पाया गया है। इस रिपोर्ट को पढने से प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण की आराजियात पर अपीलार्थीया के पति द्वारा जबरन कब्जा किया जाना प्रमाणित होता है। अपीलार्थीया/प्रार्थीया ने यह साबित नहीं कराया है कि प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण अपीलार्थीया के कौनसे हिस्से पर जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। जबकि अपीलार्थीया के पति का प्रत्यर्थीगण की आराजियात पर जबरन कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज योग्य पाई जाती है।

9. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.8.2014 को यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 26.2.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

26/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा